राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर
प्रगति विवरण वर्ष 2019–20
(अगस्त 2019 तक)

बोर्ड द्वारा मुख्यतया राज्य में कृषकों को कृषि उपज के विपणन हेतु आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिए मण्डी प्रांगणों में विकास कार्य व फसलोत्तर प्रबंधन का कार्य सम्पादित किया जाता है। फसलोत्तर प्रबन्धन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन का कार्य बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा निष्पादित प्रमुख कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :–

- राज्य के विभिन्न मण्डी प्रांगणो के विकास हेतु परियोजनाएं तैयार करना, वित्तीय संस्थाओं से परियोजनाए स्वीकृत कराना एवं परियोजनाओं के अनुसार विकास कार्यों का क्रियान्वयन करना।
- कृषि उपज मण्डी समिति के अन्तर्गत ग्रामीण भाग में सी.सी. पेवमेन्ट (सड़क) एवं कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों (मिसिंग लिंक) का निर्माण कार्य।
- राज्य के उत्पाद विशेष की बहुलता वाले क्षेत्रों में विशिष्ट मण्डियों की परियोजना तैयार कर उन्हें विकसित करना।
- फसलोत्तर प्रबंधन सम्बन्धी कार्यों हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना।
- कृषि विपणन संबंधी कार्यकलापों का प्रचार–प्रसार।
- कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन निदेशालय एवं मण्डी कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।

बोर्ड द्वारा संचालित मुख्य कार्यक्रम/योजनाएं :

निर्माण कार्य

वित्तीय वर्ष 2019–20 में मण्डी यार्डों के निर्माण व रख–रखाव और अन्य विभागों के डिपोजिट कार्यों पर कुल 285.00 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2019–20 में निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध **अगस्त, 2019** तक **3455.06** लाख रूपये भवन निर्माण, **3530.85** लाख रूपये सड़क निर्माण व **4990.72** लाख रूपये डिपोजिट कार्यों पर व्यय किये गये। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष **माह अगस्त, 2019** तक कुल **11976.63** लाख रूपये निर्माण कार्यो पर व्यय किये गये। **माह अगस्त, 2019** तक **161.90** किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण कराया गया।

किसान भवन

किसानों को सस्ती दर पर ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही कृषि व कृषि विपणन के सम्बन्ध में नवीनतम जानकारियां व प्रशिक्षण देने, कृषि आदानों की एक ही छत के नीचे आपूर्ति के उद्धेश्य से समस्त संभागीय व जिला स्तर पर किसान भवन बनाये गये है। जयपुर किसान भवन का संचालन कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है एवं इसके अतिरिक्त सभी किसान भवनों का संचालन कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा किया जा रहा है।

किसान कल्याण कोष की स्थापना

राज्य के किसानों को आवश्यक विपणन सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान कल्याण कोष की स्थापना हेतु अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.05.2005 को जारी की गयी, जिसके अनुसरण में बोर्ड के द्वारा ''किसान कल्याण कोष'' की स्थापना की गयी।

इस कोष का उपयोग उत्पादन से विपणन तक के क्रियाकलापों के लिए किया जाता है। राज्य में उक्त कोष से पैक हाऊस निर्माण, कोल्ड स्टोरेजों के निर्माण व अन्य कृषक कल्याण के कार्य करवाये गये हैं।

एग्रो ट्रेड टॉवरों का निर्माण

राज्य की कृषि उपज मण्डी समिति श्रीगंगानगर, कोटा, खैरथल (अलवर), बहरोड (अलवर), निवाई (टोंक), उदयपुर व निम्बाहेडा (चित्तोडगढ) में एग्रो ट्रेड टॉवरों का निर्माण हेतु क्रमशः 1387.00, 1260.68, 708.44, 1079.00, 1164.89, 1400.00 व 1370.40 लाख रूपये की स्वीकृतियां जारी की गई है। श्रीगंगानगर, कोटा व खैरथल एग्रो ट्रेड टॉवर का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा बहरोड, निवाई व उदयपुर का कार्य प्रगति पर है। नवीन एग्रो ट्रेड टॉवर निम्बाहेडा की स्वीकृति दिनांक 17.04.2018 को जारी हुई है, जिसकी निविदा प्रक्रियाधीन है। एग्रो ट्रेड टॉवरों में दुकानें, बैंक, रेस्टोरेन्ट, ए.टी.एम. आदि मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। इनके निर्माण कार्य पर अब तक कुल **4125.83** लाख रूपये व्यय हुये हैं।

राजीव गांधी कृषक साथी योजना–2009

इस योजना के अंतर्गत कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मण्डी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय, गांव से मण्डी तक विक्रय करने के अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के जरिये सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि 5000/– रूपये से 2,00,000/– रूपये तक दी जा रही है। वर्ष 2019–20 में माह **अगस्त,** 2019 तक **1487** व्यक्तियों को राशि **2100.72** लाख रूपये की आर्थिक सहायता का संबंधित मण्डियों को पुर्नभरण किया गया।

कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

स्थानीय स्तर पर उत्पादित फसलों के अनुसार कृषकों के लिए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। प्रथम चरण में माह फरवरी 2019 में जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, अलवर, सीकर, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ सहित राज्य के 11 जिलों के 333 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।